न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारीः– **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)**
वाद पत्र संख्याः– **179/2023**
जी.सी.एम.एस. नं.– **2023/424**

1. ग्यारसी देवी पुत्री सुण्डली पत्नी महादा जाति गुर्जर निवासी हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–वादिया–

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ।

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–श्री मुरारी लाल यादव एडवोकेट–वादिया

वाद पत्र बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती
अर्न्तगत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 30/05/2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तत्कालीन राजस्व ग्राम नीमकाथाना पटवार हल्का नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खाता संख्या 599 में दर्ज खसरा नम्बर 1957 रकबा 2.24 हैक्ट. के 1/4 हिस्से की खातेदारी वादिया की माता सूण्डली पत्नी महादा के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। नवीन राजस्व ग्राम सृजन होने से उक्त भूमि राजस्व ग्राम हीरानगर पटवार हल्का गोडावास के खाता संख्या 228 के खसरा नम्बर 915 रकबा 2.24 हैक्ट. के रूप मे दर्ज है।

जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 से पूर्व उक्त भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार भगवाना पुत्र बोदू के नाम दर्ज थी। भगवाना के फौत होने पर भगवाना की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते वक्त वादिया की माता का 1/4 हिस्सा एवं भगवाना का 1/4 हिस्सा को शामिल करते हुए भगवाना के वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 4199 दर्ज कर दिया गया । आगामी जमाबंदी में नामान्तकरण के अनुसार वादिया की माता सुण्डली का हिस्सा 1/12 दर्ज हो गया जो गलत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र प्रस्तुत कर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि राजस्व अभिलेख के अनुसार राजस्व ग्राम नीमकाथाना में स्थित भूमि खाता संख्या 599 में दर्ज खसरा नम्बर 1957 रकबा 2.24 हैक्ट. वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व ग्राम हीरानगर पटवार हल्का गोडावास के खाता संख्या 228 के खसरा नम्बर 915 रकबा 2.24 हैक्ट. में

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी

वादिया की माता का 1/12 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारी है।

वादिया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2055–2058 ग्राम नीमकाथाना के खाता संख्या 599 ख.नं. 1957 नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 तथा 2075–2078 ग्राम हीरानगर खाता संख्या 262 खसरा नम्बर 915, मिलान क्षेत्रफल, ग्राम नीमकाथाना का नामान्तकरण संख्या 1329 एवं 4199, जमाबंदी 2075–2078 आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। उक्त तथ्यों के साथ दावा वादिया प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई विरूद्ध प्रतिवादी सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

वकील वादिया को सुना गया। दौराने बहस वकील वादिया द्वारा वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिया की माता सुण्डली का खातेदारी में 1/4 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था। खातेदार भगवाना की फौतगी पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया उसमें वादिया की माता सुण्डली का खातेदारी में दर्ज 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/12 गलत दर्ज हो गया जो दुरूस्त फरमाया जाकर दावा वादिया डिक्री किया जावे।

बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात तथा रिपोर्ट तहसीलदार, नीमकाथाना का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम नीमकाथाना की प्रस्तुत जमाबंदी में वादिया सुण्डली पत्नी महादा का हिस्सा 1/4 दर्ज होना पाया जाता है। नामान्तकरण संख्या 1329 के अवलोकन से भी वादिया की माता का हिस्सा 1/4 दर्ज होना पाया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है कि वादिया की माता का राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा की खातेदारी दर्ज थी।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में दावा वादिया डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम हीरानगर पटवार हल्का गोडावास के वर्तमान खाता संख्या 256 के खसरा नम्बर 915 रकबा 2.24 हैक्ट. में दर्ज खातेदार सुण्डली पत्नी महादा हिस्सा 1/12 के स्थान पर सुण्डली पत्नी महादा हिस्सा 1/4 दर्ज किया जावे। तथा भगवाना के वारिसान के [illegible] हिस्सा 1/12 प्रत्येक के स्थान पर हिस्सा 1/20 प्रत्येक के नाम दर्ज किया जाकर डिक्री मुताबिक हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (राज.)

व इजलासः **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** : **उपखण्ड अधिकारी,** नीमकाथाना

ग्यारसी देवी बनाम भूमिधारी नीमकाथाना

–वादी– –प्रतिवादी–

दावा बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 179 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) ड अधिकारी, नीमकाथाना व हाजरी श्री मुरारीलाल यादव एडवोकेट उपस्थित। वादी निब मुद्दई – हाजरी प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है री दी जाती है कि **राजस्व ग्राम हीरानगर पटवार हल्का गोडावास के वर्तमान खाता 56 के खसरा नम्बर 915 रकबा 2.24 हैक्ट. में दर्ज खातेदार सुण्डली पत्नि महादा 1/12 के स्थान पर सुण्डली पत्नि महादा हिस्सा 1/4 दर्ज किया जावे तथा भगवाना रेसान के नाम दर्ज हिस्सा 1/12 प्रत्येक के स्थान पर हिस्सा 1/20 प्रत्येक के नाम किया जावे । तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.............×.........................मुबलिग....................×.........................बाबत.................×...................

इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×......................................फीसदी सलाना की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......................×..............................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक **30 माह 05 सन् 2025** को जारी ई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.))

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज0)

(मुहर: राजवीर सिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर))

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested